"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 252] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर 2002—आश्विन 8, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 22 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2002

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्रमांक 21 सन् 2002) में संशोधन हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के 53वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, :—

1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 है. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

   (दो) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें.

2. छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्रमांक 21 सन् 2002) की धारा 6 की उपधारा (1) (चार) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत: स्थापित किया जाए. धारा 6 का संशोधन.

"परन्तु अधिरोपित की जाने वाली शास्ति अनधिकृत विकास के ऐसे मूल्यांकन तथा ऐसी अधोसंरचना की विकास लागत के 50% से अधिक नहीं होगी."

उद्देश्यों तथा कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्रमांक 21 सन् 2002) की धारा 6 के परीक्षण में पाया गया कि अधिरोपित की जानी वाली शास्ति की राशि की अधिकतम सीमा का उल्लेख नहीं है. अत: अत्यधिक प्रत्यायोजन की स्थिति को दूर करने हेतु अनधिकृत रूप से विकसित संपत्ति के मूल्यांकन एवं विकास शुल्क का अधिकतम 50% का प्रावधान किया जाना आवश्यक है. इस कारण अध्यादेश लाना आवश्यक हो गया था. अब इसके स्थान पर यह संशोधन विधेयक लाया गया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक 13 सितम्बर, 2002

रविन्द्र चौबे
भारसाधक सदस्य

उपाबंध

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्रमांक 21 सन् 2002) की धारा 6 का सुसंगत उद्धरण :—

6. **जिला नियमितिकरण प्राधिकारी की शक्तियां**

(1) जिला नियमितिकरण प्राधिकारी में निम्न शक्तियां अन्तर्निहित होंगी :—

(एक) धारा 5 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकारी, जिले के किसी भी निवेश क्षेत्र के अनधिकृत विकास से संबंधित किसी भी अभिलेख या सूचना को बुला सकेगा. इन अभिलेखों एवं सूचनाओं के आधार पर प्राधिकारी, इस अधिनियम की धारा सात के अनुसार या तो आवेदन को निरस्त करेगा या अनधिकृत विकास के नियमितिकरण का निर्णय ले सकेगा.

(दो) यदि प्राधिकारी, नियमितिकरण का निर्णय लेता है, तो वह सम्यक् रूप से विचार कर, ऐसे विकास के कारण, आवेदक पर शास्ति अधिरोपित करेगा. प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित होने के 14 दिनों के भीतर यदि आवेदक लिखित में प्राधिकारी से किश्तों में भुगतान करने हेतु आग्रह करता है, तब, प्राधिकारी शास्ति की राशि ब्याज के साथ किश्तों में वसूल कर सकेगा.

(तीन) शास्ति अधिरोपित करने के उद्देश्य से प्राधिकारी, किसी अनधिकृत विकास का मूल्यांकन, भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य, निर्माण मूल्य इत्यादि, के आधार पर करेगा. प्राधिकारी इसके मासिक भाड़े का मूल्यांकन भी करेगा.

(चार) प्राधिकारी, शास्ति का निर्धारण, ऐसे मूल्यांकन तथा अनाधिकृत विकास के कारण सामीप्य में आवश्यक मूलभूत अधो-संरचना की विकास लागत, के आधार पर करेगा.

(पांच) प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन, एवं नियमितिकरण शास्ति के जमा होने पर, ऐसा विकास अनधिकृत नहीं रह जायेगा एवं प्राधिकारी, ऐसे प्रारूप में, जैसा विहित किया जाये, इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

(2) प्राधिकारी में वे समस्त शक्तियां वेष्टित होंगी, जो छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में हाईराइज समिति को प्राप्त है.

(3) यदि प्राधिकारी, आवश्यक समझता है तो, धारा 5 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर विनिश्चत हेतु किसी पंजीकृत संरचना इंजीनियर, नगर नियोजक या वास्तुविद की सेवायें या राय ले सकेगा.

(4) प्राधिकारी, ऐसी अन्य शक्तियों, का प्रयोग करेगा जैसा शासन द्वारा अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु नियत किया जाये.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.